बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या—17/विविध 2—08/2017— 157(17)/**स्वा०, पटना, दिनांक** 7/3/18

डा० गिरिजेश कुमार, सह—प्राध्यापक, टी0बी0 एवं चेस्ट विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (बी०) सह पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—6190 वि० दिनांक—27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक—28.02.2018 के प्रभाव से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात् सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जाएगी, साथ हीं सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पाई जाती है तो उसकी सारी जवाबदेही स्वयं चिकित्सक शिक्षक की होगी।

2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
7/3/18
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :—17/विविध 2—08/2017— 157/17/**पटना, दिनांक :—** 7/3/18

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि डा० गिरिजेश कुमार, सह—प्राध्यापक, टी0बी0 एवं चेस्ट विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण—पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सक शिक्षक के सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रति में पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— डा० गिरिजेश कुमार, सह—प्राध्यापक, टी0बी0 एवं चेस्ट विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, (डा0 करूणा कुमारी)/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा—17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी—प्रशाखा 01,02,03,09, एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/18
सरकार के विशेष सचिव।

D/Mukesh sir/Adhisuchna